

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक- 12-06-2017

क्र. 03/अ-82/2015-16 चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन -

1. जिला - रायगढ़
2. तहसील - पुसौर
3. ग्राम/नगर - देवलसुरा
4. भूमि का क्षेत्रफल - 2.242 हे०

खसरा नम्बर	रकबा (हे० में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे० में)
51/2क	0.004	222/2	0.065
51/4क	0.003	246/2	0.030
70/4क	0.007	249/1क	0.134
89/1क/1	0.051	277/2	0.809
104/1ख	0.074	278/4	0.057
140/2ख	0.062	282/3क	0.279
140/2ग	0.021	285/1	0.254
140/2घ	0.063	321/2क	0.016
141/3	0.061	321/3क	0.202
161/1	0.001	362/3क	0.049
कुल खसरा 20 कुल रकबा 2.242 हे०			

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
 3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।
- पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रशासन/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रतिहस्ताक्षर

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(शम्भू आबिदी)

कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव

छ. ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

विभाग